न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर(उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 54/2013

1. विनोद कुमार पिता भूरालाल ब्राह्मण (आमेटा) आयु 36 वर्ष निवासी उत्थैनकलां तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. नरेश कुमार पिता शांतिलाल ब्राह्मण (आमेटा) आयु 36 वर्ष निवासी उत्थैनकलां तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान

... वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता जयसिंह जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. शोभालाल पिता खेमराज जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
3. कन्हैयालाल पिता खेमराज जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
4. बालू पिता नारायण जाति खाती आयु बालिग निवासी रायती तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
5. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार बेगूँ
6. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ जरिये राजस्थान सरकार

... प्रतिवादीगण

उपस्थित::– श्री बी.के. भट्ट
अधिवक्ता वादी
श्री एम.ए. अजमेरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांकः– 14.3.2017

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53–88 आर0टी0एक्ट

वादीगण की ओर से वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नि. 1 व 2 जा.दी. के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा रायता प.ह. रायता तह. बेगूँ की निम्न कृषि आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित है। कृषि आराजीयात की तफसील निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
24	393 चाही	0.4620 है0
	394 चाव	0.4050 है0
	कीता–2	0.8670 है0

उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के मध्य मौके पर सीमा एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को दिनांक 25.05.2013 को तहसील कार्यालय में चलकर भूमि का कानून मीट्स एण्ड बाउंड्स (अच्छीसे अच्छी एवं बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया।

उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसलिए वाद वर्णित कृषि आराजीयात का अपने अपने हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी (मीट्स एण्ड आउंड्स) के आधार पर विभाजन कर मौकानुसार विभाजन किये जाने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा मना किये जाने से वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः श्रीमान से वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष प्राप्त करने का निवेदन किया हैः–

1. मौजा रायती प.ह. रायती तह. बेगूँ की खतौनी संख्या 24 खसरा सं. 393 रकबा 8670 है0 कृषि आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का निहितहक हिस्से अनुसार 1/4 एवं खसरा संख्या 394 गैर मुमकिन चाह में से वादीगण का 1/8 हिस्सा मौके पर काबिजानुसार विभाजन किया जाकर तद्नुसार ही राजस्व रेकार्ड में भी अलग–अलग खाता कायम किये जाने की आज्ञप्ति फरमायी जावे।
2. वाद व्यय महताना आदि भी वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे।
3. अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो, प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

उपरोक्त वाद पत्र वादीगण का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 एवं 5,6 सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.ए. अजमेरी द्वारा इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण मुताबिक डिक्री किये जाने का आदेश फरमाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.1.2017 को निम्न प्रकार से प्राथमिक डिकी निम्न प्रकार से किया गया हैः–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

" अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53–88 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाना है मौजा रायता प.ह. रायता तह. बेगूँ की खतौनी संख्या 24 खसरा सं. 393 रकबा 8670 है0 कृषि आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का निहित हक हिस्से अनुसार 1/4 – 1/4 एवं खसरा संख्या 394 गैर मुमकिन चाह में से वादीगण का 1/8 हिस्सा मौके पर काबिजानुसार घोषित किया जाता है। उक्त हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कब्जे के आधार पर विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को भेजी जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की जावे।"

उक्त आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूँ को जरिये पत्र क्रमांक 64 दिनांक 2.2.2017को प्राथमिक डिक्री की प्रति भिजवाते हुए प्रकरण में फर्द बटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के साथ तलब किया जाने हेतु लिखा गया , जिसकी पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत ठुकराई द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पर्चामौका व नक्शाट्रेस के साथ तहसीलदार बेगूँ को प्रस्तुत की जिसे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 269 दिनांक 28.2.2017 से इस न्यायालय को मूल ही भिजवाया गया ।

प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की बहस को सुना गया जिन्होंने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताया तथा वादी के वाद पत्र को अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया । प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पचात हमारे द्वारा फर्द बंटवारा रिपोर्ट व नक्शाट्रेस तथा पर्चामौका का अवलोकन किया गया , जिसे न्यायालय की प्राथमिक डिक्री अनुसार होना पाया गया । मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक पृथक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने हेतु हम उक्त दावे को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्दबंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा रायता प.ह. रायता की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर में
1–	श्री नरेश कुमार पिता शान्तिलाल , विनोद कुमार पिता भूरालाल ब्राम्हण निवासी उत्थेकला वादीगण के खाते–	393 मे से	0.216
2–	श्री कन्हैयॉलाल पिता जयसिंह धाकड निवासी रायता प्रतिवादी के खाते –	393 मे से	0.217
3–	श्री शोभालाल, कन्हैयॉलाल पिता खेमराज धाकड निवासी रायता प्रतिवादीगण के खाते–	393 मे से	0.217
4–	श्री बालु पिता नारायण खाती निवासी रायता प्रतिवादी के खाते –	393 मे से	0.217

आराजी नं0 394 आ.चा. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते जमाबंदी अनुसार रहेगा ।

आदेश आज दिनांक 14.3.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)